भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4109
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रीनफील्ड शहरों का चयन

†4109. श्री ससिकांत सेंतिलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2021 में 16वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत आठ ग्रीनफील्ड शहरों का चयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा 31 मार्च, 2026 की समय-सीमा तक या इससे पहले अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

(ग) इन ग्रीनफील्ड शहरों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान सरकार के समक्ष आई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रीनफील्ड शहरों के विकास के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विशेष विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 15वें वित्त आयोग (15वें एफसी) ने आठ नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित चुनौती निधि के रूप में 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस निधि के माध्यम से एक राज्य में केवल एक ही नया शहर हो सकता है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मंत्रालय ने नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए बोली मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया था। इस समिति ने न्यूनतम पात्रता शर्तों और बोली मापदंडों को अंतिम रूप दिया तथा सभी राज्यों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) भेजा था। अंतिम तिथि तक मंत्रालय को 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूर्वोत्तर राज्यों से गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव न मिलने के कारण इन

राज्यों से नए/संशोधित प्रस्ताव मांगे गए थे। परिणामस्वरूप, 23 राज्यों से कुल 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सभी प्रस्तावों की संवीक्षा/जांच सक्षम स्तर पर की जा रही है।

(घ): नए शहर के इनक्यूबेशन हेतु उत्तर-पूर्वी (एनई)/पहाड़ी राज्यों से प्रस्तावों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रस्तावित शहरों का वरीयता प्राप्त आकार 25 हेक्टेयर से अधिक रखा गया है। अन्य सभी राज्यों के लिए, प्रस्तावित शहरों का वरीयता प्राप्त आकार 50 हेक्टेयर से अधिक है। उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में नए शहर की परिकल्पित जनसंख्या कम से कम 25,000 है। अन्य सभी राज्यों के लिए, परिकल्पित जनसंख्या 1,00,000 है।

इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों में कम शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक शहर के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

*****